तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता. अहकाम जो ... हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/2023	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री रिछपाल-राम सियाग द्वारा वकालतनामा मय ईकबाली जवाबदावा पेश किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार किया गया। शेष प्रतिवादीगणों को औपचारिक पक्षकार बनाया गया जिनसे वादी वकील द्वारा कोई इमदाद नहीं चाही गई है जिनको वादी वकील द्वारा तर्क किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं PW-1 - मनोज कुमार पुत्र हरचन्दराम जाति जाट निवासी - निम्बाणियों की ढाणी तहसील-बायतु जिला - बालोतरा व स्वतंत्र गवाह PW-2 - पूनमाराम पुत्र रूगाराम जाति-जाट निवासी-बेरड़ों की ढाणी (बायतु भोपजी) तहसील-बायतु जिला-बालोतरा के शपथ-पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं DW-1 - हरचन्दराम पुत्र श्री ओमाराम जाति-जाट निवासी - निम्बाणियों की ढाणी, माडपुरा बरवाला तहसील-बायतु जिला-बाड़मेर का शपथ-पत्र पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी वकील की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन उक्त वाद वादीगण का प्रकट साबित होता है लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली कोमल शुमार हो दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।	हरचन्दराम (प्रतिवादी) (वादी) Adv. (स्वतंत्र गवाह)

अम्बर व तारी
अहकाम जो
की तामील
री हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

पीठासीन अधिकारी– श्री विवेक व्यास (R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या–166 / 2023

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. मनोज कुमार पुत्र हरचंदराम 2. ओमप्रकाश पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु		1. हरचंदराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

1. रामचन्द्र सऊ वकील वादीगण
3. रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांकः 20.12.2023

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक भूमि मौजा मोटोणी कड़वासरों की ढाणी , पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या कमंशः 748 / 629, 750 / 629 व 774 / 629 रकबा कमंशः 4.7003, 10.3228 व 1.8203 हैक्टेयर व मौजा निम्बाणियों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या कमंशः 705 / 522, 706 / 522 रकबा कमंशः 3.2036, 6.1322 हैक्टेयर की आई हुई है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 5 वां हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 पूर्वज कोशलाराम के वंशज हैं तथा प्रतिवादी वादीगण के पिता हैं। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा कोशलाराम के कब्जे काश्त की थी वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त रुप से कब्जा काश्त हैं इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि हैं। और वादीगण अपने पैतृक भूमि में सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी हैं। और हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा हैं व हिस्से अनुसार मौके पर बहामी बंटवारा कर मौके पर काबिज हैं। क्योंकि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दु परुष के पुत्र, पौत्र व पडपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायोकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। अतः वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

काश्तकार घोषित करवानें का अधिकार हैं एवं जिस हेतु यह वाद घोषणा का न्यायालय में पेश किया गया हैं। वादीगण का यह वाद दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जबाब लिखित में पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के समस्त पदो को स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमती प्रदान की हैं। वादीगण द्वारा वाद के समर्थन में वादी साक्ष्य के रुप में स्वंय मनोज कुमार पुत्र हरंचदराम शपथ पत्र PW-1, स्वंतत्र गवाह के रुप में पूनमाराम पुत्र रुगाराम का शपथ पत्र PW-2 पेश किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य के रुप में स्वंय हरचंदराम पुत्र कोशलाराम का शपथ पत्र DW-1 पेंश किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को सुना गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उक्त वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट वादीगण के दादा व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता के कब्जे काश्त की थी। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज कोशलाराम के विधिक वारिशान हैं हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता हैं व वादग्रस्त समस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी हैं।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, डिक्री किया जाता हैं व अन्तिम डिक्री इस आश्य की जारी की जाती हैं कि मौजा मोटोणी कड़वासरों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमंशः 748/629, 750/629 व 774/629 रकबा क्रमंशः 4.7003, 10.3228 व 1.8203 हैक्टेयर व मौजा निम्बाणियों की ढाणी , पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खसरा संख्या क्रमंशः 705/522, 706/522 रकबा क्रमंशः 3.2036, 6.1322 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या–1 के साथ वादीगणों को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, पत्रावली फैलस सुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफतर हो।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला – बाड़मेर

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बायतु

–: पीठासीन अधिकारी **श्री विवेक व्यास (R.A.S.)**

वादीगण	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
1. मनोज कुमार पुत्र हरचंदराम 2. ओमप्रकाश पुत्र हरचंदराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु		1. हरचंदराम पुत्र कोशलाराम जाति जाट निवासी निम्बाणियों की ढाणी माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद :– 166/2023 दिनांकः 20.12.2023

वादीगण की ओर से वकील श्री रामचन्द्र सऊ की उपस्थिति एवं प्रतिवादी वकील श्री रिणछाराम सियाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) श्री विवेक व्यास, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि –

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा मोटोणी कड़वासरों की ढाणी, पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या कमशः 748/629, 750/629 व 774/629 रकबा कमशः 4.7003, 10.3228 व 1.8203 हैक्टेयर व मौजा निम्बाणियों की ढाणी , पटवार हल्का माडपुरा बरवाला, तहसील बायतु के खेत खसरा संख्या कमशः 705/522, 706/522 रकबा कमशः 3.2036, 6.1322 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीगण को सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तहसीलदार बायतु निर्णय अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह आज तारीख 20.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर (SDO),बायतु

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला – बाड़मेर